

2012/00105

Comp

न्याय मंडल उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील																		
125/12	188 RTA	गोडियाचरण	छबड़ा																		
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी																			
जागकीलाल	बनाम	हरलाल वर्मा																			
अभिभाषक वादी	उपस्थिति	अभिभाषक प्रतिवादी																			
Sh. N. C. Ad.	श्री नारायण गजराव एस.																				
प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक	दाखिला दफतर	पृष्ठ संख्या																		
2-7-12	19/6/15																				
कार्यवाही दिनांक																					
सम्पन्न तामीली	जवाब वाद/प्रार्थना पत्र	विवाद्यक निर्धारण	विविध प्रार्थना पत्र																		
23-7-12  6933  क.सं. 104	10-9-12 24-3-14 7-11-12 5-5-14 17-12-12 27-5-14 28-1-13 11-3-13 15-4-13 20-5-13 25-6-13 16-7-13 12-8-13 18-11-13 6-1-14 5-2-14	30-6-14 20-8-14 8-10-14 17-11-14 9-3-15 15-4-15 22-6-15	श्री नारायण गजराव एस. प्राथमिक डिक्री																		
साक्ष्य वादी	साक्ष्य प्रतिवादी	बहस																			
5-2-14																					
अंतरिम एक पक्षीय निषेधाज्ञा		प्राथमिक डिक्री																			
स्थगन वादी	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	स्थगन प्रतिवादी	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

श्री नारायण  
(28)

3  
 पालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

डिक्री

संख्या	125/12	धारा अंतर्गत	188 R.A.	निर्णय दिनांक	19/6/15
क्षेत्र:-	राम चिमन लाल मीठा R.A.S.				
उपस्थिति:-	अभिभाषक वादी	-	अभिभाषक प्रतिवादी	राजस्व लोक अदालत	

वाद शीर्षक

जानकी लाल आ० चुन्नी लाल जगसि मीठा मि० गोगडिया-चारण  
 - तह हस्त मीठा बारां (राज.)  
 विवादी  
 (उतिपत्ती)

- (1) हरलाल पुत्र (2) रामकपाल पुत्र (3) योगमल पुत्र (4) रमेश पुत्र  
 स्वमत के पिता हरलाल जगसि मीठा मि० गोगडिया-चारण  
 (5) सरदार जगसि तहमील नार डण्डा  
 (उतिपत्ती)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनु रूप डिक्री निर्गत की जाती है कि राजस्व लोक अदालत के

कोर्ट - मुजफ्फर मुबारिकी पर वादी का वाद हबीकार किया गया  
 जमिनी बारा गोगडिया-चारण स्वमत नं० 15 पर जेदे खाई-त्रिभुवन  
 उतिपत्ती नं० ताप की पावन किताबों में जेदे वादी के रखते थे जमिनी  
 पर दखल जमिनी नहीं करे एवं वादीगण को पावन किताब  
 जमाता है कि उतिपत्तीगण के रखते थे जमिनी में दखल जमिनी  
 नहीं करे, तदनुसार डिक्री परख्या जाती किताब

साथ ही निम्नानुसार..... रु. का व्ययानुतोष..... द्वारा..... को प्रदान किया जाए  
 उक्त आदेश में हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक..... 19/6/15 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर  
 उपखण्ड अधिकारी  
 उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा जिला बारां (राज.)  
 छबड़ा

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज( %)		
	योग		